



स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)

दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276

ईमेल <de@nsez.gov.in>; वेबसाइट: www.nsez.gov.in

फा० सं० 10/06/2022-SEZ/

5305
19/06/2025

दिनांक: 19/06/2025

(ई मेल के माध्यम से)

सेवा में,

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002.
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लॉट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर- 24, नोएडा।
5. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं 01, नॉलेज पार्क- 4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, कालिन्दी कुञ्ज, जी टी रोड, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता।

विषय: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 05/06/2025 को पूर्वान्ह 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 05/06/2025 को पूर्वान्ह 10:30 आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

भवदीय,
(नोमान हाफिज)
19/06/25

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
3. उप विकास आयुक्त (ग्रेटर नोएडा)।
4. सम्बंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी।

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
(दिनांक 05/06/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 05/06/2025 को सुबह 10:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, उद्योग विभाग, डीआईसी, नौएडा
4. श्री विशम्बर झा, आईटीओ, नौएडा

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) श्री नोमान हाफिज, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) और (iv) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी/डीलिंग हैंड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 01/05/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 01/05/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 01/05/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 2: मेसर्स श्रीकरम प्रिसेंस प्राइवेट लिमिटेड, एएनएफटीडब्ल्यूजेड अर्शिया खुर्जा में एक इकाई के ओपन स्वीकृति पत्र (LOA) और सीएच मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस की उपस्थिति के संबंध में समीक्षा का मामला।

2.1 मेसर्स श्रीकरम प्रिसेंस प्राइवेट लिमिटेड (इकाई) :

2.2.1 निर्दिष्ट अधिकारी से प्राप्त मेसर्स श्रीकरम प्रिसेंस प्राइवेट लिमिटेड और सीएच मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन के आचरण पर दिनांक 24/12/2024 की रिपोर्ट अनुमोदन समिति के समक्ष रखी गई। अनुमोदन समिति ने रिपोर्ट पर चर्चा की और पाया कि रिपोर्ट में कहा गया है "ऐसा प्रतीत होता है कि मेसर्स श्रीकरम प्रिसेंस प्राइवेट लिमिटेड और सीएच मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स

सुरेन्द्र मलिक 1

सॉल्यूशन ग्राहकों की ओर से विभाग को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अवैध गतिविधियों में लिप्त थे"। इसके अलावा, निर्दिष्ट अधिकारी [एसओ] ने बताया कि नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, दादरी द्वारा मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) में इकाई धारक यानी मेसर्स श्रीकरम प्रिसेंस प्राइवेट लिमिटेड और सीएचए मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन सहित सभी संबंधित पक्षों को अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

2.2.2 इसके अलावा, निर्दिष्ट अधिकारी ने उक्त रिपोर्ट के माध्यम से बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) में इकाई धारक यानी मेसर्स श्रीकरम प्रिसेंस प्राइवेट लिमिटेड और सीएचए मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) **FT (D&R)** अधिनियम, **1992** का उल्लंघन कर रहे हैं और कार्रवाई के पात्र हैं। इसके अलावा, रिपोर्ट में इकाई के खुले स्वीकृति पत्र (**LOA**) और एनएफटीडब्ल्यूजेड में सीएचए की उपस्थिति की समीक्षा की भी आवश्यकता थी।

2.2.3 अनुमोदन समिति ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और ध्यान दिया कि दिनांक **18/01/2024** के पत्र के माध्यम से मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) इकाइयों के स्वीकृति पत्र (**LOA**) से संवेदनशील सामान पहले ही हटा दिए गए हैं। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने ध्यान दिया कि नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** के तहत इकाई को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। इसलिए उचित विचार-विमर्श के बाद मामले पर निर्णय लेने से पहले सीमा शुल्क द्वारा कार्रवाई/निर्णय का इंतजार करने का फैसला किया।

मद संख्या 3: 5 वर्षों के तीसरे ब्लॉक की शेष अवधि के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण:-

3.1 मेसर्स श्रीकरम प्रिसेंस प्राइवेट लिमिटेड,

3.1.1 मेसर्स श्रीकरम प्रिसेंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री आर रामनाथन बैठक हॉल में बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

3.1.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** के तहत इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उचित विचार-विमर्श के बाद इकाई के स्वीकृति पत्र (**LOA**) को केवल **01** वर्ष की अवधि के लिए यानी **18.7.2026** तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया गया है, बशर्ते इकाई को पहले से बताई गई कमियों पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। ब्लॉक वर्ष के शेष भाग के लिए स्वीकृति पत्र (**LOA**) के नवीनीकरण पर सीमा शुल्क द्वारा कारण बताओ नोटिस के निर्णय के बाद और अनुमोदन समिति द्वारा इकाई के प्रदर्शन की निगरानी के बाद विचार किया जाएगा।

मद संख्या 4:- मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अर्शिया नॉर्डन मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) लिमिटेड बहु क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), ग्राम- इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा जिला- बुलंदशहर (यूपी) में स्थित अपनी इकाई के दिनांक **03.10.2024 के स्वीकृति पत्र (**LOA**) में अतिरिक्त मदों को शामिल करने का प्रस्ताव- के संबंध में।**

4.1 मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

4.1.1 मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री राकेश त्रिखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और ग्राहकों की ओर से विभाग को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अवैध गतिविधियों में सीएचए के रूप में मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस की भूमिका पर चर्चा की (जैसा कि निर्दिष्ट अधिकारी की दिनांक **24/12/2024** की रिपोर्ट में सामने आया है)। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने पाया कि नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** के तहत इकाई को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इसलिए, उचित विचार-विमर्श के बाद और धोखाधड़ी वाले लेनदेन की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, समिति ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के निर्णय तक दिनांक **03.10.2024** के स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त वस्तुओं (**33** पिछली और **52** नई वस्तुओं) को शामिल करने के लिए अनुमोदन नहीं देने का फैसला किया।

मद संख्या 5: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 11बी के तहत सीमांकित एनपीए और सामान्य सुविधाओं को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)-सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ बैकअप बिजली की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव।

5.1 मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पावर बैकअप यूनिट)।

5.1.1 मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अमरीक सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 5ए के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकासक और इकाइयों को निर्बाध बिजली प्रदान करने के लिए बैक-अप बिजली उत्पन्न करने और आपूर्ति करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय [एमओसीएंडआई] द्वारा जारी दिनांक **16.02.2016** के बिजली दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में बिजली बैकअप इकाई स्थापित की गई थी। अब, एनपीए में खपत के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकासक को बैकअप बिजली आपूर्ति और विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के भीतर एनपीए में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) और उद्यमियों दोनों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य सुविधाओं के लिए उनका प्रस्ताव है।

5.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और डीसी कार्यालय को मामले पर वाणिज्य विभाग के निर्देशों के आलोक में प्रस्ताव की आगे जांच करने और फाइल पर मामले में निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।

मद संख्या 6: अरुंधती उत्तरी मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/16/2023-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)/5784 दिनांक 26.07.2023 में अपनी इकाई के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त मदों को शामिल करना।

6.1 मेसर्स वी स्पिरिट इंक।

6.1.1 मेसर्स वी स्पिरिट इंक की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुश्री मनमीत कौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद इकाई को अनुबंध विनिर्माण के लिए विवरण/सूचना/अनुबंध दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया तथा विकास आयुक्त को मामले में फाइल पर निर्णय लेने के लिए सशक्त किया।

मद संख्या 7: कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन की सूचना-के संबंध में

7.1 मेसर्स एरिस्टोक्रेट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

7.1.1 मेसर्स एरिस्टोक्रेट टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इकाई (मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) सेक्टर-135 नोएडा में एक इकाई) ने दिनांक **05.05.2025** के पत्र के माध्यम से कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन के बारे में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सूचित किया है:-

अभिलेख के अनुसार, निदेशकों की वर्तमान सूची	1. श्री बिक्रम सिंह अज्जन 2. श्री अनूप खुबचंदानी	
परिवर्तनों का विवरण (दी गई सूची और पहले उपलब्ध सूचना के अनुसार संस्था द्वारा रिपोर्ट किया गया)	नियुक्ति/तिथि 1. सुश्री निधि गर्ग 2. श्री राकेश मेंदीरत्ता	इस्तीफा/तिथि 1. श्री बिक्रम सिंह अज्जन
इकाई द्वारा परिवर्तन का संज्ञान लेने के बाद वर्तमान निदेशकों के बारे में जानकारी	1. श्री अनूप खुबचंदानी 2. श्री राकेश मेंदीरत्ता 3. सुश्री निधि गर्ग	

7.1.2 अनुमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या **109** दिनांक **18.10.2021** के अनुसार कंपनी के निदेशकों के परिवर्तन पर ध्यान दिया। इसके अलावा, इकाई कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करेगी।

7.2 मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (विकासक और पावर बैक-अप यूनिट)

7.2.1 मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (विकासक और इकाई) ने अपने पत्र दिनांक **22.05.2025** के माध्यम से निदेशक मंडल में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं: -

अभिलेख के अनुसार, निदेशकों की वर्तमान सूची	1. श्री मुनीश दयाल माथुर 2. श्री अंकित गुप्ता	
परिवर्तनों का विवरण (दी गई सूची और पहले उपलब्ध सूचना के अनुसार संस्था द्वारा रिपोर्ट किया गया)	नियुक्ति/तिथि 1. श्री साकेत मेहता (07.05.2025 से प्रभावी)	इस्तीफा/तिथि 1. श्री अंकित गुप्ता (09.05.2025 से प्रभावी)
इकाई द्वारा परिवर्तन का संज्ञान लेने के बाद वर्तमान निदेशकों के बारे में जानकारी	1. श्री मुनीश दयाल माथुर 2. श्री साकेत मेहता	

7.2.2 अनुमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या **109** दिनांक **18.10.2021** के अनुसार कंपनी के निदेशकों के परिवर्तन पर ध्यान दिया। इसके अलावा, इकाई कंपनी के शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करेगी।

7.3 मेसर्स गेमिंग लैबोरेटरीज इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

7.3.1 मेसर्स गेमिंग लैबोरेटरीज इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स गोल्डन टॉवर इंप्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में स्थित इकाई) ने दिनांक **02.05.2025** के पत्र के माध्यम से कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन के बारे में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सूचित किया है:-

अभिलेख के अनुसार, निदेशकों की वर्तमान सूची	1. श्री डेवोन डेओक डलबॉक 2. श्री मार्टिन रॉबर्ट ब्रिटन 3. श्री राकेश चन्द्र 4. श्री जेम्स पियर्स बोजे 5. श्री कार्तिक नारायणन	
परिवर्तनों का विवरण (दी गई सूची और पहले उपलब्ध सूचना के अनुसार संस्था द्वारा रिपोर्ट किया गया)	नियुक्ति	इस्तीफा
	----	1. श्री राकेश चंद्रा दिनांक 27.03.2025 से
इकाई द्वारा परिवर्तन का संज्ञान लेने के बाद वर्तमान निदेशकों के बारे में जानकारी	1. श्री डेवोन डेओक डलबॉक 2. श्री जेम्स पियर्स बोजे 3. श्री कार्तिक नारायणन इकाई ने यह भी बताया है कि निदेशकों में परिवर्तन के कारण शेयरधारिता स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।	

7.3.2 अवलोकन:

1. श्री मार्टिन रॉबर्ट ब्रिटन की समाप्ति के संबंध में डीआईआर-12 की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

7.3.3 अनुमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या **109** दिनांक **18.10.2021** के अनुसार कंपनी के निदेशकों के परिवर्तन पर ध्यान दिया।

मद संख्या 8: मेसर्स क्लीन मैक्स कोजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, [सोलर पावर जेनरेशन यूनिट], रूफटॉप बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 5, टावर-6, बिल्डिंग नंबर 9, बिल्डिंग नंबर 10, बिल्डिंग नंबर 11 की छत, सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर- 135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में लेनदेन ऑनलाइन न भरना और स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण (एनएसडीएल में लेनदेन दाखिल किए बिना) - के संबंध में।

8.1 मेसर्स क्लीन मैक्स कोजेन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।

8.1.1 इकाई एसईजेड ऑनलाइन में रिटर्न नहीं भर रही है। इकाई ने दिनांक **08.04.2025** के पत्र के माध्यम से, इस कार्यालय के दिनांक **15.01.2025** के पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया है, तथा सभी प्रश्नों को स्पष्ट किया है। जांच के दौरान, यह पाया गया है कि इकाई **SEZ** ऑनलाइन में रिटर्न दाखिल नहीं कर रही है। इकाई ने कहा है कि " एसईजेड ऑनलाइन प्रणाली पर आवश्यक जानकारी अद्यतन न करने की चूक के लिए वे क्षमा चाहते हैं। वे आश्वासन देते हैं कि डेटा को आगे भी नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा।"

8.1.2 समिति को अवगत कराया गया कि इसी तरह के एक मामले में युवा पेशेवर से कानूनी राय मांगी गई थी, जिसकी प्रतीक्षा है। समिति ने मामले पर विस्तार से चर्चा की और विकास आयुक्त को कानूनी राय मिलने के बाद फाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

मद संख्या 9: 9वीं मंजिल टावर-03, ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्लॉट संख्या 07, सेक्टर -144, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश) में इकाई की स्थापना के लिए मेसर्स नोल्डस सॉफ्टवेयर एलएलपी का प्रस्ताव- संबंधी।

9.1. मेसर्स नोल्डस सॉफ्टवेयर एलएलपी

9.1.1 मेसर्स नोल्डस सॉफ्टवेयर एलएलपी ने "सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) परामर्श और सहायता सेवाएँ" शुरू करने के लिए 9वीं मंजिल टॉवर-03, ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्लॉट नंबर 07, सेक्टर-144, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश) में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदक ने 5 वर्षों की अवधि में 40135.00 लाख रुपये के निर्यात और 25499.00 लाख रुपये के संचयी निवल विदेशी मुद्रा (NFE) का अनुमान लगाया है। स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं और स्वदेशी इनपुट सेवाओं के लिए 605.50 लाख रुपये और 496.94 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया था। आवेदक ने टॉवर-3 में 9वीं मंजिल के हिस्से पर 13,365 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के आवंटन के लिए विकासक से स्थान के प्रस्ताव की पुष्टि की एक प्रति प्रस्तुत की है।

9.1.2 निम्नलिखित दस्तावेज/सूचनाएं प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, जिन्हें आवेदक को सूचित कर दिया गया है।

- i. इकाई को विदेशी मुद्रा व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने फॉर्म एफ में कोई आयात नहीं दिखाया है।
- ii. इकाई ने फॉर्म एफ में 0.00 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र दिखाया है, जो गलत है।
- iii. आवेदक ने फॉर्म-एफ के पैरा XIII(ii) में 'एनए' का उल्लेख किया है। हालांकि इस कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार, इसी नाम वाली कंपनी नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित है। इसलिए, फॉर्म एफ को ठीक किया जाना है।
- iv. आवेदन के साथ संलग्न सभी सहायक दस्तावेजों पर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
- v. उचित प्रारूप में, 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर विधिवत नोटरीकृत हलफनामा नहीं दिया गया है।
- vi. कंपनी का आयात-निर्यात कोड (आईईसी), यदि प्राप्त हो, तो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- vii. श्री जॉन माइकल ओ'ब्रायन के पासपोर्ट की सुपाठ्य प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- viii. फॉर्म-एफ को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म-एफ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ix. श्री भव्य अग्रवाल के संबंध में फॉर्म-एफ में उल्लिखित पता पासपोर्ट में उल्लिखित पते से मेल नहीं खाता है। इस प्रकार, इकाई को पते के प्रमाण की एक सही/वैध प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- x. फॉर्म-एफ में क्रम संख्या V में इकाई ने अधिकृत संचालन/सेवाओं अर्थात् "सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) परामर्श और समर्थन सेवाएँ" के लिए सीपीसी कोड-813 का उल्लेख किया है, जो प्रासंगिक नहीं लगता है।
- xi. फॉर्म-एफ में क्रम संख्या VII(बी) में वित्त के स्रोतों के विवरण के विरुद्ध - व्यवसाय राजस्व का उल्लेख किया गया है जिसे विस्तृत/स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
- xii. फॉर्म-एफ में क्रम संख्या XI में, "विदेशी मुद्रा बैलेंस शीट", कुल विदेशी मुद्रा व्यय 14636.00 लाख रुपये के रूप में उल्लेख किया गया है, जबकि कोई आयातित अनुमान नहीं बताया गया है जिसके लिए इकाई को विदेशी मुद्रा व्यय का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

xiii. इकाई ने आयातित सीजी की अनंतिम सूची संलग्न की है जबकि आयातित सीजी का कोई मूल्य फॉर्म-एफ में नहीं बताया गया है जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

xiv. स्थापना के बाद से सभी एलएलपी समझौतों की प्रतिलिपि।

xv. मूल भागीदारों की समाप्ति के संबंध में एलएलपी फॉर्म-3 की प्रतिलिपि।

xvi. आवेदक ने फॉर्म-एफ के क्रम संख्या **XIII(ii)** में "एनए" का उल्लेख किया है। हालांकि, यह देखा गया है कि आवेदक को पहले ही नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (**SEZ**) में स्वीकृति पत्र (**LOA**) जारी किया जा चुका है। इसलिए, फॉर्म- में इसका उल्लेख करने की आवश्यकता है।

xvii. निधि प्रवाह विवरण नहीं दिया गया है।

xviii. कंपनी की पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट जमा नहीं की गई है।

xix. कंपनी का संक्षिप्त रूपरेखा और दृष्टि नहीं दिया गया है।

9.1.3 मेसर्स नोल्डस सॉफ्टवेयर एलएलपी के उप प्रबंधक श्री नवनीत कुमार बाजपेयी बैठक में बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। **9.1.4** अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, **9**वीं मंजिल, टॉवर-**03**, ऑक्सीजन बिजनेस पार्क प्लॉट नंबर **07**, सेक्टर-**144**, नौएडा-**201304** (उत्तर प्रदेश) के हिस्से में एक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य "सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) परामर्श और सहायता सेवाएं" नामक अधिकृत संचालन करना है। अनुमोदन ऊपर **9.1.2** में उल्लिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के अधीन है।

मद संख्या 10: मेसर्स ज़ेवियंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नौएडा (यू.पी.) में सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (**SEZ**) में स्थित एक इकाई का प्रस्ताव, अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (**SEZ**) इकाई अर्थात मेसर्स लाइफवर्क्स वेलबीइंग सॉल्यूशंस (इंडिया) एलएलपी के परिसर से शिफ्ट आधार पर संचालन के लिए समय अवधि के विस्तार के लिए - संबंधी।

10.1 अनुमोदन समिति को अवगत कराया गया है कि मेसर्स ज़ेवियंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का स्वीकृति पत्र (**LOA**) **23.06.2025** तक वैध है और मेसर्स लाइफवर्क्स वेलबीइंग सॉल्यूशंस (इंडिया) एलएलपी का स्वीकृति पत्र (**LOA**) **15.06.2025** तक वैध है। अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद विकास आयुक्त को दोनों इकाइयों के स्वीकृति पत्र (**LOA**) के नवीनीकरण के बाद फाइल पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया।

मद संख्या 11: 4वीं मंजिल, टावर-4 स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (**SEZ**) इकाई के परिसर में कैफेटेरिया स्थापित करने की अनुमति-पंजीकृत।

11.1 मेसर्स किंड्रिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

11.1.1 मेसर्स किंड्रिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक **20.05.2025** के माध्यम से, विशेष आर्थिक क्षेत्र (**SEZ**) नियम, **2006** के नियम **11(5)** के साथ पठित निर्देश संख्या **95** दिनांक **11.06.2019** के अनुसार उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र (**SEZ**) परिसर की चौथी मंजिल पर कैफेटेरिया स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध प्रस्तुत किया था।

11.1.2 समिति ने अनुदेश संख्या **95** पर विचार-विमर्श किया, जिसमें कहा गया था कि ऐसी इकाइयों के अनन्य उपयोग के लिए इकाई के परिसर में कैफेटेरिया, शिशु-गृह, व्यायामशाला और इसी तरह की सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकती है:-

सुरेंद्र मलिक

i. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 11(5) के प्रावधान के तहत परिकल्पित सुविधाएं भी विकासक से एनओसी के साथ-साथ संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र [एनओसी]/मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन इकाई द्वारा अपने अनन्य उपयोग के लिए बनाई जा सकती हैं।

ii. ऐसी सुविधाएं बनाने या संचालित करने के लिए इकाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम की धारा 7 या धारा 26 के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होगी।

11.13 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, सेक्टर टेकजोन IV, ग्रेड नोएडा (यूपी) के टॉवर 4 की चौथी मंजिल पर स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के परिसर में कैफेटेरिया (क्षेत्रफल 450 वर्ग फीट) स्थापित करने के प्रस्ताव को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के अनुसार मंजूरी दे दी। इसके अलावा, यह मंजूरी तीसरे पक्ष के विक्रेता के केवाईसी विवरण, यदि कोई हो, और विकासक से अनापत्ति प्रमाण पत्र [एनओसी] के साथ-साथ संबंधित वैधानिक अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र [एनओसी]/मंजूरी/अनुमोदन प्रस्तुत करने के अधीन है।

11.14 यह अनुमोदन वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 और उसके बाद दिनांक 03.10.2023 के स्पष्टीकरण के अनुसार है। यह अनुमोदन वैधानिक अनुपालन के अधीन है और इस शर्त के साथ कि न तो इकाई और न ही उसके विक्रेता (विक्रेता) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम / विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र होंगे, ऐसी सुविधाओं को स्थापित करने और संचालित करने के लिए, इकाई द्वारा विकासक को दिए गए पट्टे / अन्य शुल्कों पर शून्य रेटिंग के लाभों को छोड़कर। इकाई को निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के तहत आवश्यक रूप से प्रासंगिक वैधानिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र [एनओसी] / मंजूरी / अनुमोदन जैसे कि आग, स्वास्थ्य आदि प्राप्त करना होगा।

मद संख्या 12: कंपनी के विलय के लिए अनुरोध-के संबंध में।

12.1 मेसर्स हनु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का मेसर्स इनसाइट डायरेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में विलय

12.1.1 मेसर्स इनसाइट डायरेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री गजवीर सिंह माहौर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण [एनसीएलटी] ने मेसर्स हनु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का मेसर्स इनसाइट डायरेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। इस विलय के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वे विलय की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण [एनसीएलटी] गए थे।

12.1.3 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद विकास आयुक्त के कार्यालय को स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण और उसके बाद कंपनी के नाम में परिवर्तन के बारे में फाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। इस संदर्भ में, कार्यालय विलय के बारे में कानूनी राय भी ले सकता है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अबिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त